रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 1978/आश्विन 14, 1900
No. 455] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 1978/ASVINA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1978

का. आ. 588(ई).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक.हित में ऐसा अपेक्षित है कि संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर अस्पतालों और औषधालयों की सेवाओं के, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2(क)(1) के अधीन संबंधित सरकार है, जिन्हें उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 9 द्वारा शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का [illegible] करते हुए, केन्द्रीय सरकार अस्पतालों और औषधालयों में [illegible]ाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल [illegible] छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित

[संख्या एस-11017/8/78-डी. 1 ए.]

एम. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 1978

S.O. 588(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that services in the hospitals and dispensaries within the Union Territory of Delhi, for which the Central Government is the appropriate Government under Section 2(a)(i) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947), which are covered by entry 9 in the First Schedule to the said Act, should be declared to be public utility services for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said services in hospitals and dispensaries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S. 11017/8/78/DI (A)]

M. SETH, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978